रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र संख्या 93 / 2023 GCMS 2023/261
अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
उनवानी सन्तोष देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

1.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित आये। तहसीलदार खेतडी से उनके पत्रांक भू0अ0 / 2024 / 1043 दिनांक 23.05.2024 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। अधिवक्ता प्रार्थीया के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीया के नाम की त्रुटि न तो भू प्रबन्ध विभाग की है तथा न ही कोई लिपिकीय त्रुटि है। प्रार्थीया का वर्तमान नाम जमाबन्दी में विरासत नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 16.05.2005 से दर्ज हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत बनना नहीं पाया जाता है। लिहाजा

–: **आदेश** :–

अतः प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ★ जिला- नीमकाथाना (राज.)

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:50:54 IST
Reason: SelfAttested